न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 47 / 2018 **दायर दिनांकः 13.09.2018**

उनवान

1. श्यामबिहारी आयु 42 वर्ष पुत्र स्व0 हरिचरण
2. म्हावीर आयु आयु 38 वर्ष पुत्र स्व0 हरिचरण
3. रामप्यारी बाई आयु 45 वर्ष पुत्र स्व0 हरिचरण
4. सुमित्रा बाई आयु 40 वर्ष पुत्र स्व0 हरिचरण
5. केदार बाई आयु 65 वर्ष पत्नि स्व0 हरिचरण जातियान धाकड निवासीगण मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोविन्दलाल आयु 48 वर्ष पुत्र किशनगोपाल
2. प्रभूलाल आयु 45 वर्ष पुत्र किशनगोपाल जातियान धाकड निवासीगण मोठपुर पो0 मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट.

उपस्थिति :—

प्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बृजराजसिंह हाडा

अप्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल

निर्णय

दिनांक— 09 / 02 / 2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया हैं जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की पूर्ण आशा हैं। ग्राम एवं माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 148 के ख0न0 335 का रकबा 1.16 है0, ख0न0 341 का रकबा 0.58 है, ख0न0 347 / 2655 का रकबा 0.56 है0, ख0न0 354 का रकबा 1.62 है०, ख०न० 354 / 2484 का रकबा 1.96 है0, ख0न0 552 / 2654 का रकबा 0.62 है०, ख०न० 819 का रकबा 0. 34 है0, ख0न0 820 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 821 का रकबा 0.04 है0, कुल किता 9 का रकबा 6.93 है0 आराजी वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के दर्ज खाता हैं। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत्

2073 से 2076, नक्शा ट्रेस एवं खसरा गिरदावरी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं० 2 में वर्णित आराजी में पुराना ख०न०. 1122/1925 का रकबा 10 बीघा के नये ख0न0 354 का रकबा 1.62 है0 वादीगण के पिता खातेदार हरिचरण पुत्र अमरलाल कोम धाकड़ के दर्ज खाता स्थित था। जिसको दौराने सेटलमेन्ट आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी के साथ नवीन ख0न0 354 का रकबा 1.62. है० बनाकर गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुए अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के खाते में शामिल कर दिया जिससे प्रार्थीगण को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से प्रार्थीगण के पिता के स्वामित्व का पुराने ख0न0 1122/1925 का रकबा 10 बीघा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के दौराने सेटलमेन्ट दर्ज कर दिया जिसका सेटलमेन्ट कर्मचारीगण को कोई अधिकार नहीं था। इसलिए प्रार्थना पत्र की मद नं० 2 में वर्णित आराजी में से ख0न0 354 का रकबा 1.62 है0 आराजी पर प्रार्थीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं जिसके प्रार्थीगण अधिकारी एवं नॉलिशी है। हरिचरण की मृत्यु दिनांक 29.02.2007 को हो चुकी है इसलिए हरिचरण के वारिसान प्रार्थीगण की और से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 सेटलमेन्ट जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल, मृत्यु एवं वारिस प्रमाण पत्र हरिचरण प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। सहखातेदार शान्तिबाई ने अपने हिस्से की आराजी का हकत्याग अपने सगे भाई अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पक्ष में कर दिया हैं जिसका नामान्तकरण अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पक्ष में खुल चुका है इसलिए शान्तिबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं है। अगर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहे और प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर से बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी से वंचित होना पड़ेगा जिससे प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा प्रार्थीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अस्तू प्रार्थना पत्र की मद नं० 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या 148 का कुल किता 9 का रकबा 6.93 है0 में से ख0न0 354 का रकबा 1.62 है0 पर से अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का नाम हटाया जाकर प्रार्थीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जायें तथा राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगण को बतौर खातेदार कृषक नाम दर्ज किया जायें तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जायें कि

प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में उक्त वर्णित आराजी को कही रहन, बेचान, हस्तानतरण नहीं करें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है। अन्य कारण बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि ताफैसला वाद अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या 148 का कुल किता 9 का रकबा 6.93 है0 में से ख0न0 354 का रकबा 1.62 है0 आराजी को कही रहन, बेचान, हस्तानतरण नहीं करें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो स्वंय करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी क्रम 1, 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–1 में वाद पेश करना स्वीकार है शेष मद अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–2 स्वीकार है। प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–3 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नहीं है प्रार्थीगण के पिता हरिचरण जी अप्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल जी एवं नाथूलाल जी तीनो सगे भाई थी तथा तीनो के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में जमाबंदी संख्या 202 सम्वत/032 ता 35 के मुजब निम्न आराजीयात थी। खसरा नम्बर 108 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 929 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1088 रकबा 05 विस्वा खसरा नम्बर 1090 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 1091 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1092 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1098 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1153 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1115 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1329 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1430 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा किता 11 कुल रकबा 85 बीघा 14 बिस्वा माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान में वाके है उक्त आराजीयात बांट बराबर से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता किशनगोपाल जी के सहखातेदारी में दर्ज है लिहाजा किशनगोपाल जी का उपरोक्त आराजीयात में 1/3 हिस्सा था प्रार्थीगण किशनगोपाल जी के वारिस है इस प्रकार अप्रार्थीगण के पिता के हिस्से में 85 बीघा 14 बिस्वा का हिस्सा 1/3 यानि 28 बीघा 11 बिस्वा आराजीयात आई। उक्त संयुक्त आराजी के अलावा आराजी खसरा नम्बर 122 मिन रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारा राज. अप्रार्थीगण के पिता ने बजर्ये रजिस्टर्ड

सैलडीड क्रय की। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पिता के हिस्से में 28 बीघा 14 बिस्वा एवं क्रयशुदा 14 बीघा 15 बिस्वा कुल 43 बीघा 09 बिस्वा आराजी आई। सेटलमेन्ट ने पूर्वजो से प्राप्त आराजीयात एवं क्रयशुदा आराजीयात का नये नम्बर मुर्तीब किये तथा समस्त आराजीयात को मिलाकर आराजीयात का बंटवारा परिवार के मध्य किया। चूंकि परिवार ने कुछ आराजीयात परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से क्रय की थी उन सभी को मिलाकर करीब 130 बीघा आराजी हुई जिनका बंटवारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण तथा नाथूलाल जी के मध्य किया फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता किशनगोपाल जी को 43 बीघा 08 बिस्वा जमीन प्राप्त हुई। सेटलमेन्ट ने समस्त आराजीयात के पूर्व नम्बर भी परिवर्तित कर नये नम्बर बना दिये। प्रार्थीगण के पिता के हिस्से में सेटलमेन्ट द्वारा बंटवारा के बाद जो आराजीयात आई उसके नये नम्बरान निम्न है। आराजी खसरा ख0न0 335 का रकबा 1.16 है0, ख0न0 341 का रकबा 0.58 है, ख0न0 347/2655 का रकबा 0.56 है0, ख0न0 354 का रकबा 1.62 है०, ख०न० 354/2484 का रकबा 1.96 है0, ख0न0 552/2654 का रकबा 0.62 है०, ख०न० 819 का रकबा 0.34 है0, ख0न0 820 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 821 का रकबा 0.04 है0, कुल किता 9 का रकबा 6.93 है0 हेक्टर माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर– 4 स्वीकार है। प्रार्थनापत्र की मद नम्बर 5 जिस प्रकार से लिखी गई है स्वीकार नहीं है। प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–6 अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–7 अस्वीकार है प्रार्थना प्रार्थीगण अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियाँ

प्रार्थनापत्र के मद नम्बर–2 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे की है प्रार्थनापत्र के मद नम्बर–3 का जवाब देते हुये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने निवेदन किया है कि आराजी ख0न0 335 का रकबा 1.16 है0, ख0न0 341 का रकबा 0.58 है, ख0न0 347/2655 का रकबा 0.56 है0, ख0न0 354 का रकबा 1.62 है०, ख०न० 354/2484 का रकबा 1.96 है0, ख0न0 552/2654 का रकबा 0.62 है०, ख०न० 819 का रकबा 0.34 है0, ख0न0 820 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 821 का रकबा 0.04 है0, कुल किता 9 का रकबा 6.93 है0 हेक्टर माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारॉ राजस्थान में वाके है जो मुताबिक जमाबंदी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। सेटलमेन्ट के पूर्व आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 929 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1088 रकबा 05 विस्वा खसरा नम्बर 1090 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 1091 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1092 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1098 रकबा 1 बीघा 11

बिस्वा, खसरा नम्बर 1153 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1115 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1329 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1430 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा किता 11 कुल रकबा 85 बीघा 14 बिस्वा माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान में वाके थी। नाथूलाल, किशनगोपाल हरिचरण बेटे अमरलाल जाति धाकड़ निवासीगण मोठपुर तहसील अटरू के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। उक्त आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से में 28 बीघा 11 बिस्वा आराजी आई इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता ने आराजी खसरा नम्बर 1122 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा माल मोठपुर को क्रय किया था लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के हिस्से में कुल 28 बीघा 11 बिस्वा + 14 बीघा 15 बिस्वा कुल 43 बीघा 09 बिस्वा आराजीयात आई प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या–1 से संबंधित एक ही परिवार है परिवार के पास पैत्रक एवं क्रयशुदा आराजी कुल 132 बीघा आराजी थी जिसका प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता तथा नाथूलाल के मध्य बाहमी विभाजन हुआ फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के हिस्से में आराजी खसरा 335, 341, 347/2655, 354, 354/2884, 552/2654, 819, 820, 821 माल मोठपुर की आराजी आई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण के पिता सेटलमेन्ट के समय हाल खसरा नम्बर 354 के बदले अन्य आराजीयात प्राप्त कर चुके है लिहाजा प्रार्थीगण का वाद धारा 354 रकबा 1.62 हेक्टर के बाबत चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अपूर्ण तथ्यों पर अस्पष्ट रूप से पेश किया है। प्रार्थीगण का क्लीन हेण्ड से माननीय न्यायायल के समक्ष उपस्थित नहीं आये लिहाजा प्रार्थीगण का यह वाद बहिष्कृत किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का आराजी खसरा नम्बर 354 रकबा 1.62 हेक्टर माल मोठपुर पर कब्जा काश्त न तो पहले था और ना ही वर्तमान में है ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का वाद धारा 188 आर०टी०एक्ट के तहत मेन्टेनेबल नहीं है। प्रार्थीगण ने धारा 80 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानो की पालना नहीं की लिहाजा प्रार्थीगण का यह वाद बहिष्कृत किये जाने योग्य होने से यह बाद भी काबिल खारजी है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 354 से संबंधित इन्तकाल को चैलेन्ज नहीं किया लिहाजा प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र काबिले खारजी है। अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन हे कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र मय हर्जा व खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता श्री हरिचरण पुत्र श्री अमरलाल जाति धाकड ने खातेदारा श्रीमति डाली बेवा भंवरिया जाति काछी निवासी मोठपुर तहसील अटरू से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.05.1970 से ग्राम मोठपुर की आराजी मूल खसरा नंबर 1122 में से 10 बीघा भूमि कीमतन क्रय की थी जिसका नामान्तरकरण नंबर 302 दिनांक 2.4.1971 तस्दीक होकर प्रार्थीगण के पिता हरचरण के खाते दर्ज हुई। नामान्तरण तस्दीक होने के बाद उक्त आराजी का नया ख0नं0 1122/1925 रकबा 10 बीघा बना। बाद खरीद से प्रार्थीगण के पिता एंव उनकी मृत्युपरान्त प्रार्थीगण स्वयं उक्त आराजी क्रयशुदा पर स्वयं काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सेटलमेन्ट के बाद पुराना ख0नं0 1122/1925 रकबा 10 बीघा का नया ख0नं0 354 रकबा 1.62 हेक्टेयर कायम हुए है परन्तू सेटलमेण्ट विभाग द्वारा गफलत एंव लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुए विधि विरूद्ध रूप से उक्त आराजी हरिचरण के स्थान पर उनके भाई एवं अप्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल के खाते दर्ज कर दी गई थी जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आगे कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल ने भी बाद में खातेदारा डाली बेवा भंवरया जाति काछी से साबिक ख0नं0 1122 मि0 में से शेष बची 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि क्रय की थी जिसके सेटलमेन्ट के बाद नया ख0नं0 354/1484 रकबा 1.92 है0 बनाकर विधिविरूद्ध रूप से प्रार्थीगण के पिता हरिचरण के खाते दर्ज कर दिया गया है। किशनगोपाल की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुऐ और राजस्व रिकार्ड में नाम होने का अनुचित फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर एंव अन्यत्र आराजी को रहन बेचान करने की धमकियां दे रहे है। यदि इसमे वे सफल हो गये तो प्रार्थीगण के कानूनी एंव सांपत्तिक अधिकारों का हनन होगा। जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। आराजी खसरा नंबर 354 रकबा 1.62 हेक्टेयर को प्रार्थीगण अपनी खातेदारी मे दर्ज करवा पाने के कानूनन अधिकारी एंव नालिशी है तथा इस हेतु घोषणा कराने के अधिकारी है और अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला दावा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के अधिकारी है कि वे खातेदारी गलत रूप से दर्ज हो जाने से आराजी को रहन बेचान या खुर्द बुर्द न करें अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे तथा प्रार्थीगण की काश्त व्यवस्था मे किसी तरह का व्यवधान ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना अपने किसी प्रतिनिधि से करावे तथा प्रार्थीगण को आराजी का शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहकर उपयोग उपभोग करने देवे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यो पर आधारित है तथा सुविधा का सन्तुलन एंव अपरिमित क्षति का बिन्दू

भी प्रार्थीगण के पक्ष मे पूर्णतया प्रमाणित है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला दावा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की जावे कि वे खातेदारी गलत रूप से दर्ज हो जाने से आराजी को रहन बेचान या खुर्द बुर्द न करे अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे तथा प्रार्थीगण की काश्त व्यवस्था मे किसी तरह का व्यवधान ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना अपने किसी प्रतिनिधि से करावे तथा प्रार्थीगण को आराजी का शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहकर उपयोग उपभोग करने देवे।

4. प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में ग्राम मोठपुर की विवादित आराजी की नकल जमाबंदी संवत 2073–76, ग्राम मोठपुर की नकल खसरा गिरदावरी संवत 2074, खसरा नक्शा, भू प्रबंध विभाग की विवादित आराजी की नकल जमाबंदी, ग्राम मोठपुर के पुराने ख0नं0 1122/1925 की जमाबंदी संवत 2036–39 एवं मिलान क्षेत्रफल, भू प्रबंध विभाग का विवादित आराजी का लगान पर्चा, हरिचरण नागर का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारीसान प्रमाण पत्र, ग्राम मोठपुर के नामान्तरण संख्या 302 दिनांक 02.05.1971 की नकल पेश किये।

5. अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस का पूरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता हरिचरण, अप्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल व नाथूलाल तीनों सगे भाई थे जिनके संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में कुल किता 11 कुल रकबा 85 बीघा 14 बिस्वा आराजी माल मोठपुर में थी जिसमें तीनों भाई बांट बराबर अर्थात 28 बीघा 11 बिस्वा के हिस्सेदार थे। उक्त आराजी के अलावा अप्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल ने ग्राम मोठपुर के साबिक ख0नं0 1122 मि0 में से 14 बीघा 15 बिस्वा आराजी जरिये रजि0 सेलडीड क्रय की थी। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल के हिस्से में कुल 45 बीघा 9 बिस्वा आराजी आई थी। सयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भी क्रय की गई आराजी को मिलाकर सयुंक्त परिवार के पास कुल करीब 132 बीघा आराजी थी जिसमें हरिचरण, किशनगोपाल व नाथूलाल तीनों भाईयों प्रत्येक को करीब 43 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई थी। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सम्पूर्ण आराजी के नये नंबर बनाकर लगभग बांटबराबर तीनों भाईयों के पृथक पृथक दर्ज किये गये जिसमे अप्रार्थीगण के पिता के हाल ख0नं0 354 रकबा 1.62 है0 सहित कुल किता 9 कुल रकबा 6.93 है0 भूमि खाते दर्ज की गई जबकि प्रार्थीगण के पिता के हाल ख0नं0 354 के बदले अन्य ख0नं0 की भूमि खाते दर्ज की गई। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा पुनः कथन

किया गया कि विवादित आराजी हाल ख0नं0 354 रकबा 1.62 है0 भूमि पर न तो प्रार्थीगण का पहले कब्जा था और न ही वर्तमान में है। ऐसी सूरत में प्राथीगण का वाद एवं प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। अप्रार्थीगण वर्तमान मे विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार कृषक है और रिकार्डेड खातेदार कृषक विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. अप्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में ग्राम मोठपुर की विवादित आराजी की जमाबंदी संवत 2073–76 की नकल पेश की।

7. उभय पक्षकारान की बहस के परिपेक्ष्य में उपलब्ध दस्तावेजों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम मोठपुर की जमाबंदी संवत 2036–39 मार्क ए 5 के अनुसार साबिक ख0नं0 1122/1925 रकबा 10 बीघा की प्रार्थीगण के पिता हरिचरण पुत्र अमरलाल धाकड के खाते दर्ज थी। प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम मोठपुर की नामान्तरण पंजिका के नामान्तरण संख्या 302 दिनांक 02.04.1971 मार्क ए 11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार डाली बेवा भंवरया कोम काछी द्वारा अपने खाते की ग्राम मोठपुर की आराजी कुल किता 4 कुल रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा में से ख0नं0 1122 की 10 बीघा आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.05.1970 से हरिचरण पुत्र अमरलाल जाति धाकड निवासी मोठपुर को बेचान किया था। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता हरिचरण द्वारा साबिक ख0नं0 1122 में से 10 बीघा भूमि रजिस्ट्री से क्रय की थी जिसका नया ख0नं0 1122/1925 रकबा 10 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल मार्क ए 6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुराने ख0नं0 1122/1925 रकबा 10 बीघा का सेटलमेंट के दौरान नया ख0नं0 354 रकबा 1.62 है0 बनया गया। जब साबिक ख0नं0 1122/1925 रकबा 10 बीघा के रिकार्डेड खातेदार कृषक हरिचरण पुत्र अमरलाल थे तो बाद सेटलमेन्ट इससे बनाये गये नये ख0नं0 354 रकबा 1.62 है0 भी हरिचरण पुत्र अमरलाल धाकड के खाते दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम मोठपुर के भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी सन 1989–2009 मार्क ए 4 एवं हाल जमाबंदी संवत 2073–76 मार्क ए 1 के अवलोकन से जाहिर होता है कि सेटलमेन्ट के दौरान बनाया गया ख0नं0 354 रकबा 1.62 है0 अप्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल पुत्र अमरलाल धाकड के खाते दर्ज कर दिया गया। सेटलमेन्ट

विभाग द्वारा प्रार्थीगण के पिता हरिचरण पुत्र अमरलाल के खाते की आराजी साबिक ख0नं0 1122/1925 हाल ख0नं.0 354 को अप्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल पुत्र अमरलाल के खाते किस प्राधिकार के अधीन दर्ज की गई–स्पष्ट नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि सेटलमेंट कार्य के दोरान सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिक बिना किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश के किसी भी अभिलिखित खातेदार की मूल प्रविष्टीयों में संशोधन नहीं कर सकते है। अतः सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण के पिता हरिचरण के खाते की आराजी को अप्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल के खाते दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। **अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है।**

अप्रार्थीगण द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में कहीं भी इस तथ्य का अंकन नहीं है कि हरिचरण के खाते की आराजी साबिक 1122/1925 रकबा 10 बीघा हाल ख0नं.0 354 को अप्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल पुत्र अमरलाल के खाते किस प्राधिकार के अधीन दर्ज की गई थी। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि सेटलमेन्ट विभाग ने हरिचरण, किशनगोपाल व नाथूलाल की संयुक्त पैतृक संपत्ति कुल 85 बीघा 14 बिस्वा तथा हरिचरण द्वारा क्रय की गई 10 बीघा व किशनगोपाल द्वारा क्रय की गई 14 बीघा 15 बिस्वा व अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा क्रय की गई कुल 132 बीघा आराजी को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बाटबराबर परिवार में कर दिया गया। लेकिन यह उल्लेख नहीं किया कि संयुक्त पैतृक संपत्ति व बाद में स्वअर्जित संपत्ति का यह बांट बराबर विभाजन सेटलमेन्ट द्वारा किस नियम या प्राधिकार के तहत किया गया। सेटलमेन्ट विभाग को तीनों भाईयों की संयुक्त पैतृक संपत्ति का विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना चाहिए था जबकि क्रय की गई स्वअर्जित संपत्ति को उनके क्रेताओं के खाते दर्ज किया जाना चाहिए था। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौहरान कथन किया गया कि अप्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल द्वारा क्रय की गई आराजी साबिक ख0नं.0 1122 मि0 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा के सेटमेन्ट के दौरान बनाये गये हाल ख0नं0 354/1484 रकबा 1.92 है0 किशनगोपाल की जगह हरिचरण के खाते दर्ज कर दी गई तथा किशनगोपाल मौके पर ख0नं0 354 पर एवं हरिचरण ख0नं0 354/1484 पर इसी अनुसार कब्जा काश्त चले आ रहे है। प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर कब्जे काश्त संबंधी कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है।

यह स्थापित तथ्य है कि किसी आराजी के अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध धारा 212 के अधीन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जानी चाहिए लेकिन यदि कोई व्यक्ति सिर्फ सेटलमेनट विभाग की त्रुटि या भूल की वजह से दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी का खातेदार दर्ज हो जाता है और उसे कब्जे से बेदखल करने पर आमदा हो तो ऐसे व्यक्ति/खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित में होगा। **अतः प्रकरण में सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है**।

उपरोक्त विवेचन से यह भी साबित है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान अवैधानिक तरीके से हरिचरण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को किशनगोपाल के खाते दर्ज कर दिया है। यदि किशन गोपाल के वारिसान यानी अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को उक्त आराजी से बेदखल करते है या रहन बैचान आदि करते है तो प्रार्थीगण को उनके कानूनी हक व अधिकारों से वंचित रहना पडेगा **जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति उठानी पड सकती है।**

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

::—आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम मोठपुर की आराजी ख0नं0 354 रकबा 1.62 है0 को ताफैसला मूल वाद कहीं रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। जबरन कब्जा व खुर्द बुर्द नही करें।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां